9-7-19	आज पत्रावली अधि० उप० मूल प्रा०पत्र में दस्तखत, सुना गया [illegible] 1(10) 2 [illegible] की गई है। वास्ते [illegible] दि० 10-7-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर किशनगढ़-बास
10-7-19	आज पत्र के अधि० उप० [illegible] किया। बहस [illegible] सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 17-7-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर किशनगढ़-बास
17-7-19	आज पत्र के अधि० उप० / प्रा०पत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से जारी किया गया। प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। उप जिला कलेक्टर किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद [आर.ए.एस.]

प्रा.पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
49	10-6-19	17-7-19

उनवान

1- पवन कुमार पुत्र श्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मांछरोली
तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- प्रार्थी

बनाम

1- बाबूलाल पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी मांछरोली

2- नाथूराम पुत्र रूपाकिशन

3- रणजीत पुत्र दिलसुख ---- मृतक

3/1-भागवती बेवा रणजीत

3/2-सुवेसिंह

3/3-रोहिताश पुत्रान रणजीत

3/4-चांदकोर बेवा होशियार

3/5-रवि

3/6-विकास पुत्रान होशियार

3/7-पिंकी पुत्री होशियार

3/8-सुशीला पुत्री रणजीत

3/9-सविता पुत्री रणजीत जाति अहीर निवासी मांछरोली

4- रामसिंह

5- लक्ष्मीचन्द पुत्रान हीरालाल

6- पूर्णचन्द पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी मांछरोली

7- तहसीलदार लैण्ड हाल्डर किशनगढ़-बास :-अप्रार्थीगण

[प्रा.पत्र धारा 251 ए आर.टी.एक्ट.]
प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश

उपस्थिति:-1- श्री कमरूद्दीन एड. प्रार्थीगण की ओर से ।
2- श्री लालराम यादव एड. अप्रार्थीगण की ओर से ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। प्रा.पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

--2--

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र धारा 251 ए आर. टी. एक्ट. पेश कर उसके साथ यह स्थगन प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तथा तर. अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आ. ख. नं. 667/0.1265 वाके ग्राम मांढरोलीमें स्थित है जिस आराजी के तरफ उत्तर को आराजी ख. नं. 669/0.0253, 668/0.1265, 664/0.0506, 665/0.1391 वाके ग्राम मांढरोली विवादित आराजी है।

विवादित आ. ख. नं. 669, 668, व 664, 665 के तरफ उत्तर को सड़क आम है जिस सड़क आम से उक्त खसरा नम्बरान के मध्य की डोल से भिन प्रार्थी व तर. अप्रार्थी अपने खेत आ. ख. नं. 667 में आते हैं तथा उक्त डोल से ही चाह कुआ ख. नं. 597 में आते जाते हैं। अन्य कोई रास्ता आने जाने के लिए नहीं है विवादित नम्बरान की मध्य डोल से ही आते जाते हैं। प्रार्थी व तर. अप्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए उक्त खसरा नम्बरान के बीच की डोल से 8 फुट चौड़ा रास्ता अति आवश्यक है ताकि प्रार्थी व तर. अप्रार्थी अपने खेत ख. नं. 667 पर पहुँच सके ।

विवादित रास्ता अरसे दराज से चालू है जिसका शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी व तर. अप्रार्थी के हक असायश{सुखाधिकार} हासिल है।

अब असल अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है जो उक्त रास्ते को जबरदस्ती बन्द कराना चाहते हैं। असल अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द करने की नीयत से दिनांक 25-5-19 को उक्त ख. नं. के मध्य की डोल को तोड़ते हुये नीवं खोद दी तथा अब निर्माण कर आवागमन प्रार्थी बन्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी असल अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो भिन प्रार्थी को अजहद हानि होगी लिहाजा अप्रार्थीगण असल को जरिये हु. इ. दवामी इस अमर से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण रास्ता भूमि को जबून लठ के बल पर बन्द नहीं करें, ना ही कोई निर्माण करें, रास्ते के उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा ना करें मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

अत: प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण आ. ख. नं. 669, 668, 1265 व 664, 665 वाके ग्राम मांढरोली तहसील किशनगढ़-बास के मध्य डोल के सहारे 8 फुट चौड़ा रास्ता भूमि को असल अप्रार्थीगण जबून लठ के बल पर बन्द नहीं करें, ना ही रास्ता भूमि{डोल} पर कोई किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि करे, ना ही प्रार्थी व तर. अप्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पहुचाये मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर दिनांक 27-5-19 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10-6-19 तक इस आशय से पाबन्द किया गया कि आ.ख.नं. 669/0.0253, 668/0.1265, 666/0.0506, 665/0.1391 वाके मौजिरोली के होल पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। तथा नोटिस मय आदेश तामिला रवाई करदी जावे जो भी आपत्ति हो दिनांक 10-6-19 को हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर जवाब पेश किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। ख.नं. 664 व 665 में प्रतिवादीगण सं. 4, 5, 6 द्वारा पक्की दीवार करीब 4-5 फुट की होल पर कदीमी पुरानी निर्माण की हुई है, तथा पाईप दबाये हुये हैं, तथा गुवाड़ा आदि के लिए अपने उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। उक्त आराजी में से मौके पर कोई रास्ता नहीं है। उक्त आराजी में से कभी कोई रास्ता निकास नहीं रहा है। जो कुआ ख.नं. 597 में है वह वर्तमान में सूखा हुआ है तथा उक्त आराजी में से कोई रास्ता कुआ आदि पर आने जाने हेतु कभी नहीं रहा है। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की आराजी में से कोई नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में हम अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता कायम करवाना चाहता है, जिसके कारण प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं बंटवारे में से नम्बर मुझे मिले हैं रास्ते लिए दावा श्रीमान के समक्ष पेश किया है उसने नक्शा भी पेश किया है। ख.नं. 667, 668 व 666, 669 के बीच की होल से रास्ता चाहा है। अर्सादराज से हम इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं। हमें अपने खेत पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब अप्रार्थीगण जबरन नींव खोद कर निर्माण करने की नियत से उक्त रास्ते को बन्द करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की मूल प्रा.पत्र के निर्णय तक रास्ते में किसी प्रकार मजाहमत पैदा ना करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ताकि पक्षकारान में मध्य दौरान मुकदमें बाजी ना बढ़े। हमारा प्रा.पत्र बाबत स्थगन स्वीकार फरमाया जावे।

[illegible] अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ये चारों नम्बरान हमारी खातेदारी की हैं इन नम्बरान में पक्के मकान बने हुये हैं2 डोल के मध्य से कभी रास्ता नहीं रहा है इन नम्बरान के दूसरी तरफ भी आम रास्ता है तर्फ पश्चिम वाली राजकीय आराजी है जहां से वैकल्पिक रास्ता संभव है उसी से आना जाना है सरकारी भूमि से आने जाने में कोई आपत्ति नहीं है । चार नम्बरान का डिस्टर्ब करना सम्भव नहीं है इसलिए टी-आई खारिज फरमाई जावे। इनके खेत में कोई रास्ता इत्यादि भी इनका नहीं है। ना ही इनके पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जवाब में वकील प्रार्थी ने बताया है भूमि खातेदारी की तब ही तो रास्ता रोक रहे हैं। तर्फ उत्तर व तर्फ पश्चिम में रास्ता हमारी भूमि से दूर है। सरकारी भूमि में क्या कोई रोड बन जायेगा सरकारी आराजी किसी न किसी रूप में आरक्षित होगी जिस पर सड़क नहीं बनसकती। इसलिए अप्रार्थीगण को टी॰आई॰ से पाबन्द किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा नकल जमाबन्दी हाल व नक्शा ट्रेस विवादित नम्बरान का पेश किया है। तथा अप्रार्थीगण की ओर से नकल जमाबन्दी हाल व नक्शा ट्रेस विवादित आराजी सहित दीगर नम्बरान का भी पेश किया है। नकल जमाबन्दी के अनुसार आ॰ ख॰ नं॰ 667/0॰1265 प्रार्थी व तर॰ अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है। तथा आ॰ ख॰ नं॰ 669/0॰0253, 668/0॰1265, 664/0॰0506, 665/0॰1391 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से साबित है कि ख॰ नं॰ 669 व 664 की मध्य डोड एवं ख॰ नं॰ 668 व 665 की मध्य डोल से होकर कोई रास्ता नहीं है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी के हैं। प्रार्थी द्वारा इन नम्बरान की मध्य डोल से रास्ता चाहा है। जो प्रार्थी ने अपने खेत ख॰ नं॰ 667 के लिए चाहा हैजो ख॰ नं॰ 668 से लगता हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अनुसार ख॰ नं॰ 671 व 566 प्रार्थी के ख॰ नं॰ 667 से लगते हुये हैं। ख॰ नं॰ 671 के पश्चिम में रास्ता है यदि प्रार्थी ख॰ नं॰ 671 से होकर रास्ते की मांग करता है तो सुविधा जनक होना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा जिन नम्बरान में से रास्ते की मांग की गई है वह अप्रार्थीगण असल की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और एक खातेदार अधिकारी को आराजी के उपभोग उपयोग करने से रोका जाना कतई न्यायोचित ,प्रतीत नहीं होता।

चूँकि रास्ते कायमी बाबत निर्णय मूल प्रार्थना पत्र में ही किया जायेगा वर्तमान स्टेज पर केवल सुविधा संतुलन ही देखा जाना है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

--5--

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन नहीं पाया जाता है ना ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने का अंदेशा है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाना कानून संगत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश साबित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अत: आदेश है कि :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. साबित नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी टी.आई. आदेश दिनांक 27-5-19 बाबत आ.खं.नं. 669/0.0253, 668/0.1265, 666/0.0506, 665/0.139। वाके ग्राम मांढरोली तहसील किशनगढ़-बास अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल प्रार्थना पत्र रहे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)